

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-5  
संख्या-322सीएम(2)/नौ-5-201-355सा/14  
लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2014

दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती मनायी जायेगी। उससे पूर्व देश के शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत स्वच्छता प्राप्त किया जाना लक्षित है। स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जनजागरूकता लाने तथा उक्त अवधि तक पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनसहभागिता को बढ़ावा देना अपेक्षित है। इसी उद्देश्य से दिनांक 25.09.2014 से 02.10.2014 के दौरान 'स्वच्छ भारत सप्ताह' (Clean India Week) का आयोजन किये जाने एवं समयबद्ध तरीके से सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें राज्य स्तर पर 'राज्य स्तरीय संचालन समिति' (State Level Steering Committee) के गठन का सुझाव दिया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार 'राज्य स्तरीय संचालन समिति' (State Level Steering Committee) का गठन किया जाता है:-

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13.	महानिदेशक पुलिस, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14.	निदेशक, नगरीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य सचिव

3- 'राज्य स्तरीय संचालन समिति' समयबद्ध तरीके से सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय-समय पर कृत कार्यवाही की समीक्षा करेगी तथा आवश्यक निर्देश भी देगी।


श्रीप्रकाश सिंह  
सचिव।

संख्या-322सीएम(4)/नौ-5-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, भारत सरकार, शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उमशमन एवं संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को अर्द्धशा0प0ंस0-क्यू-16019 /1/2014-सीपीएचईईओ/666एफ, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 के क्रम में।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ बेसिक/माध्यमिक/उच्च/प्राविधिक शिक्षा/परिवहन/पर्यटन/ऊर्जा/गृह /सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश/समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल/सूडा
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

  
(उमा शंकर सिंह)  
उप सचिव।